न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

अधिहरण वाद संख्या–162 / 2021

अंदर धारा–58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार बनाम अज्ञात

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
24/09/21	यह वाद समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय से विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त है। इस वाद की कार्यवाही अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया के प्रस्ताव / प्रतिवेदन (ज्ञाप सं0–376 / म0नि0, दिनांक 29.05.2021) के आलोक में फारबिसगंज अंचल उत्पाद कांड संख्या–13 / 2021, दिनांक 21.03.2021, धारा–30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 में जब्त पल्सर 150 सी0सी0 मोटर साईकिल पंजीयन संख्या–HR-265847, चेसीस संख्या–DHVBKK7 9362, ईंजन संख्या–DHGBKKZ9066 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा–58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया ने अपने पत्रांक 930 / जि0परि0, दिनांक 19.08.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किये है कि संबंधित वाहन के वाहन स्वामी का विस्तृत विवरणी कार्यालय के कम्पयूटर में ऑनलाईन प्रदर्शित नहीं हो रहा है। अतः इस वाद को आदेश पर रखा गया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि स0 / उ0नि0 / सा0 56वीं वाहिनी एस0एस0बी0 समवाय फुलकाहा, अररिया द्वारा दिनांक 20.03.2021 को समय 15:35 बजे आसूचना के आधार पर सा0 / आ0 के साथ स्पेशल पेट्रोलिंग के लिये कम्पनी मुख्यालय फुलकाहा से तोप नवाबगंज लिए रवाना हुआ। लगभग 16:10 बजे तोप नवाबगंज पहुँचकर पेट्रोलिंग पार्टी प्राथमिक विद्यालय तोप नवाबगंज के पास छुपाव करके बैठ गई। समय लगभग 16:40 बजे पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा देखा गया कि एक व्यक्ति एक मोटर साईकिल पर जुट के बोरी में कुछ सामान बाँधकर तेजी से आ रहा है। पेट्रोलिंग पार्टी ने उसे रोकने के लिए तैनात हुई। मोटर साईकिल चालक एस0एस0बी0 की डयूटी पार्टी को देखकर घबरा गया। मोटर साईकिल को पीछे मोड़कर भागने का कोशिश करने लगा, जिसके दौरान मोटर साईकिल वही पर गिर गयी। मोटर साईकिल चालक मोटर साईकिल तथा उस पर बंधे सामान को छोड़कर भागने लगा। मोटर साईकिल चालक तथा पेट्रोलिंग पार्टी के बीच की दूरी ज्यादा होने के कारण वह व्यक्ति गाँव में घुस गया तथा भागने में सफल रहा। पेट्रोलिंग पार्टी ने गाँव के लोगों से उसके बारे में पूछताछ करने पर किसी के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसके बाद मोटर साईकिल तथा उस पर बंधे बोरी में सामानों की तलाशी लेने के लिये दो स्वतंत्र गवाहों को तलाशा गया। मौके पर स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं होने के कारण अपने ही डयूटी पर दो जवान को गवाह बनाकर तलाशी ली गयी। तलाशी में दिलवाने नेपाली शराब 300 मिली लीटर का 145 बोतल, कुल 43.500 लीटर देशी शराब बरामद हुआ। बरामद शराब एवं वाहन को विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में शराब की पुष्टि की गई है। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी	

द्वारा अवैध शराब का जब्त दो पहिया वाहन से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। जब्त दो पहिया वाहन राजसात होने योग्य है।

अधीक्षक, मद्यनिषेध, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी का जब्त जंब्त पल्सर 150 सी0सी0 मोटर साईकिल पंजीयन संख्या–HR-265847 का उपयोग अवैध शराब को व्यवसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त वाहन बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार फारबिसगंज अंचल उत्पाद कांड संख्या–13/2021, दिनांक 21.03.2021 में जब्त पल्सर 150 सी0सी0 मोटर साईकिल **पंजीयन संख्या–HR-265847, चेसीस संख्या–DHVBKK79362, ईंजन संख्या–D HGBKKZ9066 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 58(2) के अंतर्गत राजसात**(Confiscate) किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित,

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 85 /रा(न्या0), अररिया, दिनांक 24/09/2021

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, मद्य निषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/21

अपर समाहर्त्ता,
अररिया